प्रेस विज्ञप्ति
17/2/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत श्री एस. पी. ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी मामले से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में 14/2/2026 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें 1.76 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस को कुर्की किया गया है।

ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, लुधियाना द्वारा बीएनएसएस, 2023 के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। अब तक की गई जांच से पता चला है कि आठ अन्य साइबर अपराधों से उत्पन्न अपराध की आगम भी 28.08.2024 को मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के बैंक खाते में जमा की गई थी।

ईडी की जांच में पता चला कि श्री एस पी ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों के रूप में प्रतिरूपण करने वाले धोखेबाजों ने उनसे 7 करोड़ रुपये की उगाही की। जांच में पता चला है कि आरोपी रूमी कलिता और अर्पित राठौर द्वारा संचालित कई म्युल खातों के माध्यम से धन भेजा गया था। यह भी पता चला कि रूमी कलिता ने अतनु चौधरी के साथ एक एसोसिएशन स्थापित किया और अवैध आय को वैध बनाने के लिए मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नामक अपनी इकाई के बैंक खाते का उपयोग किया। अन्य साइबर अपराधों/डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों से प्राप्त धन भी मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स और मेसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के खातों में जमा किया गया था। अपराध से प्राप्त आगम को बाद में व्यवस्थित तरीके से कई म्युल बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे साइबर अपराध से प्राप्त आगम के डायवर्जन और छिपाने में मदद मिली। अपराध से प्राप्त आगम का एक हिस्सा विभिन्न शेल संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया गया और व्यापार-आधारित धन शोधन तंत्र को अपनाकर भारत के बाहर भेजा गया। शेष आगम का उपयोग वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए किया गया था।

कुर्क किए गए 1.76 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस मेसर्स मृत्युंजय मल्टीट्रेड नामक एक मुखिया इकाई के बैंक खाते में था और इस बैंक खाते का उपयोग विभिन्न साइबर अपराधों/डिजिटल गिरफ्तारियों से उत्पन्न अपराध के आगम को प्राप्त करने और उसे आगे भेजने के लिए किया गया था। आगे की जांच से पता चला है कि साइबर अपराध से प्राप्त आगम को वैध बनाने के लिए कई मुखिया बैंक खातों का उपयोग किया गया था। ये मुखिया खाते आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को ऋण की व्यवस्था करने या रोजगार प्रदान करने के झूठे वादे करके खोले गए थे।

इससे पहले मामले में 31.01.2025, 22.12.2025 और 31.12.2025 को तलाशी ली गई थी और आरोपी सुश्री रूमी कलिता को 23.12.2025 को गिरफ्तार किया गया था और आरोपी अर्पित राठौर को भी 31.12.2025 को गिरफ्तार किया गया था और दोनों आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।